भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1531

(दिनांक 01.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

समाचार चैनलों का पंजीकरण

1531. श्री संदोष कुमार पीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मई, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश में पंजीकृत समाचार चैनलों की राज्य-वार सूची क्या है;
(ख) क्या सभी ऑनलाइन समाचार चैनलों का पंजीकरण अनिवार्य है;
(ग) यदि हाँ, तो देश में समाचार चैनलों के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है;
(घ) क्या समाचार चैनलों के संचालन के लिए कोई विनियामक नीतियाँ हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): दिनांक 31 मई, 2025 तक प्राइवेट सैटेलाइट टीवी समाचार चैनलों की संख्या 405 है। आज तक सभी अनुमत प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों (समाचार और गैर-समाचार) का विवरण वेबसाइट https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/webHP?requestType=ApplicationRH&actionVal=userInformationSystem&screenId=2 पर उपलब्ध है।

ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों को पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

सैटेलाइट टीवी समाचार चैनलों के कार्यकरण को "भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022" के तहत विनियमित किया जाता है। ये https://mib.gov.in/sites/default/files/2024-05/uplinking-and-downlinking-guidelines-2022-english.pdf पर उपलब्ध हैं।
